न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– 305/2015

वादीगण

1. लाधा उर्फ लाधू पुत्र धोंकला फौत के कायम मुकाम
   - 1/1 सोहन पुत्र लाधा उम्र 32वर्ष
   - 1/2 भींया पुत्र लाधा उम्र 30वर्ष
   - 1/3 मोहन पुत्र लाधू उम्र 28वर्ष
   - 1/4 घेवर पुत्र लाधा उम्र 26वर्ष
2. पैलाद पुत्र गोमदा उम्र 69 वर्ष सभी जातियान भाट निवासी भालीखाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अंतरी देवी बेवा लिछमणाराम उम्र 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश गोदपुत्र लिछमणाराम उम्र 25 वर्ष
3. भगवाना पुत्र बुला उम्र 43 वर्ष उपरोक्त सभी जाति जाट
4. सवा पुत्र भला उम्र 90 वर्ष पुरोहित के फौत होने पर कायम मुकाम
   - 4/1 राणा पुत्र सवा उम्र 65 वर्ष
   - 4/2 भंवरा पुत्र सवा उम्र 60 वर्ष
   - 4/3 जगदीश पुत्र सवा उम्र 50 वर्ष
5. उदा पुत्र भला उम्र 87 वर्ष के फौत होने पर कायम मुकाम
   - 5/1 उमा गोदपुत्र उदा उम्र 35 वर्ष
6. विरधा पुत्र भला उम्र 83 वर्ष जाति पुरोहित निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी वास्ते पूर्व–न्याय (Res-judicata) में होने से वाद खारीज करने

तारीख रजू– 12/3/14

अधिवक्तागण :

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 06
02. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादी सं. 1/1 ता 1/4

–::निर्णय::–

दिनांक– 13/01/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Sin
Date: 2024.06.12 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से वकील [illegible] चौधरी [illegible] कि अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी वास्ते पूर्व–न्याय (Res-judicata) का पेशकर [illegible] कि माननीय न्यायालय में राजस्व वाद अंतर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] का वाद वादीगण द्वारा पेश किया था वाद संख्या 305/2015 है। जो माननीय [illegible] न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद ग्राम भालीखाल के खेत खसरा संख्या 65/1 रकबा 23 [illegible] 10 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की खातेदारी में घोषित किया जाने का वाद पेश किया था। जमाबंदी में अंकित खातेदार भेरा, बूला पिसरान सूरा, लिछमणा, पेलाद पिसरान गोमदा लाधाराम व जीयाराम पिसरान् धोंकलाराम, जाति भाट निवासी भलीखाल जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पूर्वज है, ने ग्राम भालीखाल तहसील बाड़मेर संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 65 की 23 बीघा

13/01/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 सवाराम, उदाराम व विरधाराम पिसरान भलाराम जाति पुरोहित निवासी भलीखाल को 95 रुपए में बेचान संवत 2015 आसोज वदी 11 को कर प्रतिफल की उक्त राशि प्राप्त कर मौके पर खरीददार प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 का कब्जा करवा दिया था। उक्त बेचान की पटवारी हल्का, भू.अ. हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत उड़ासर द्वारा जांच कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नामांतरकरण संख्या 27 दिनांक 14.01.1964 को पारित कर प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया था जिसे करीबन 65 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उसके बाद से लगाकर आज दिन तक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 व (उनके वारिशान) का कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में अंकित है। पूर्व में ग्राम भालीखाल तहसील बाड़मेर था तत्कालीन क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त न्यायालय सहायक जिलाधीश बाड़मेर को प्राप्त था उक्त बेचान को चुनौती देते हुए वादी संख्या 2 पेलाद पुत्र गोमदा, प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पूर्वज लिछमणा पुत्र गोमदा और प्रतिवादी संख्या 3 के पिता बूला पुत्र सूरा और भेरा पुत्र सुरा ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 के तहत में माननीय सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में पुराने वाद संख्या 184/1978 नए वाद संख्या 71/1983 के रूप में दिनांक 18.09.1978 को प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.1985 को मार्फत कर खारीज कर दिया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री की तत्कालीन क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वितीय जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 557/1986 अनवान भेराराम के कायम मुकाम एवं अन्य बनाम सवाराम एवं अन्य की धारा 223 रा.का.अधि. के तहत अपील की थी। उक्त अपील संख्या 557/1986 को उक्त अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.1988 के मार्फत खारिज कर दी थी जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आज दिन तक नहीं की गई। उक्त दोनों न्यायालयों के निर्णय व डिक्री आज तक यथावत है जो पूर्व– न्याय (Res-judicata) की परिभाषा में आने से यह वाद चलने योग्य नहीं है। पुराने वाद संख्या 184/1978 नए वाद संख्या 71/1983 के रूप में दिनांक 18.09.1978 को प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.1985 तथा वर्तमान वाद संख्या 305/2015 की विषयवस्तु समान, इस्तदुआ समान, पक्षकार समान, धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम समान है। ग्राम भलीखाल के खेत खसरा संख्या 65/1 रकबा 23–10 बीघा की वादग्रस्त आराजी का पूर्ववर्ती वाद अंतिम निर्णय व डिक्री हो चुका है पश्चात्वर्ती वाद यानि [illegible] वाद वादीगण को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में वाद मा[illegible] में चलने योग्य नहीं है। उक्त वाद प्रार्थीगण को खर्चे से जे[illegible] है ऐसी स्थिति में वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना प[illegible]कार किया जाना उचित संगत, विधि संगत, न्याय संगत है। शेष वजुहात उक्त बहस प्रार्थी वकील निवेदन माननीय न्यायालय में मौखिक निवेदन किए जाएंगे।

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। पैरा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि दिनांक 14.01.1964 को पारित किया गया नामांतरकरण जिस दस्तावेज के आधार पर किया गया उक्त दस्तावेज अविधिमान्य अकृत व शून्य होने का आक्षेप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra
Date: 2024.06.12 16:22:09 IS
Reason: SelfAttested

वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है साथ ही उक्त आराजी में सेटलमेंट से आज तक कब्जा वादीगण का होना वादपत्र में अंकित किया है उक्त दोनों बिन्दु इस्यु तनकी कायम होने के बाद दोनों पक्षों को साबित करना होगा, इसीलिए वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है। पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वाद संख्या 184/1978 जिसमें वर्तमान वाद के वादी लाधा प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित था तथा उक्त वाद में लाधा द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया साथ ही उक्त वाद का निस्तारण मेरिट पर नहीं करके केवल आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को म्याद से बाहर पेश करने पर वाद तक ही यिका जाता है जिससे लाधा व प्रहलाद के हक हिस्सों का सुनवाई व निस्तारण नहीं होने से प्राकन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है साथ ही प्राकन्याय के संबंध में सीपीसी में सीमित दायरे हेतु वर्णित है इसीलिए हस्तगत वाद में वादीगण के हक हिस्सों का निर्धारण वाद की विधिवत सुनवाई के बाद ही किया जाना न्याय संगत है। पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि पूर्व में पेश वाद के पक्षकार अलग तरीके से थे तथा वादीगण ने उस वाद में कोई इस्तदुआ नहीं चाही थी तथा न ही न्यायालय ने यह तय किया है कि वादीगण का उक्त आराजी में हक हिस्सा नहीं बनता जबकि उस समय वाद प्रथम दृष्टया प्राथमिक स्टेज पर राजनैतिक दबाव में आदेश 22 नियम 3 में म्याद की छूट नहीं देते हुए पूरा वाद ही ऐबेट कर दिया जिससे वादी लाधा का किसी भी प्रकार का वाद में न तो पक्ष रखा न ही सुनवाई हुई इसीलिए उक्त वाद प्रतिवादी के जवाब के बाद विवाद्यक का स्थिरीकरण कर दोनों पक्ष अपने साक्ष्य पेश करे कि वर्ष 1964 में किया गया बैचाण विधि मान्य था या नहीं, क्या वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी में काबिज है या नहीं, क्या वादीगण उक्त आराजी में अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है या नहीं, साथ ही प्रतिवादी को कोई भी आपति हो तो काउंटर कलेम में दर्शित कर सकता है तथा उस बिन्दु पर इस्यु कायम होकर सुनवाई कर निस्तारण किया जाना दोनों पक्षों के लिए विधि समत है धारा 11 उसी स्थिति में आकृष्ट होती है जब पूर्व के वाद में वादी होता तथा वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया होता जबकि हस्तगत प्रकरण में केवल 22/4 में म्याद पर दावा खारिज किया गया। पैरा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि ऊपर के पैरों में जवाब दिया जा चुका है कि पूर्व के दावे में लाधा वादी नहीं था न ही लाधा को सुना गया तथा न ही वाद मेरिट पर निस्तारण हुआ इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ने केवल वाद में विलम्ब करने के नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज किया जाना न्यायोचित है। पैरा संख्या 7 से 9 गलत होने से अस्वीकार है तथा पैरा संख्या 10 कानूनी है। शेष वजुहात व कानूनी नजरिये वक्त बहस अर्ज कर पेश किए जाकर श्रीमानजी से निवेदन है कि विरधाराम द्वारा पेश किया गया आवेदन विधि के तथ्यों पर सारहीन आधारहीन तथा वलहीन होने से व केवल पुरानी पत्रावली में विलम्ब की नियत से पेश किया गया होने से 5000 रुपए के खर्चा के साथ खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवं उस पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 11 सीपीसी का तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2019(2) आरआरटी 3121 "सरसी व अन्य बनाम मगनीराम व अन्य" दिनांक 26 अप्रैल 2019 तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2021(2) डीएनजे **(Rev.)** 1391 मन्नाराम बनाम प्रहलादाराम निर्णय दिनांक 10.11.2021 का अध्ययन करते हुए मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में इनका उपयोग किया।

हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 वास्ते पूर्व–न्याय (रेस–ज्यूडिकेटा) के संबंध में सर्वप्रथम हम धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं :–

"जहां किसी न्यायालय ने किसी वाद का निर्णय कर दिया है तो उस वाद में विवादित विषयवस्तु के संबंध में इन पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा पुनः वाद संस्थित किया जाता है तो पश्चात्वर्ती वाद को रेस–ज्यूटिकेटा का सिद्धांत रोक देगा"

रेस–ज्यूडिकेटा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है:–

1. दो वादों का होना आवश्यक :– एक पूर्ववर्ती एवं एक पश्चातवर्ती।
2. पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती वाद में विषय वस्तु/विवाद्यक/अनुतोष का समान होना।
3. पक्षकारों का समान होना या समान पक्षकारों के प्रतिनिधि समान होना।
4. न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद निर्णीत कर दिया हो।
5. पूर्ववर्ती वाद को निर्णीत करने वाला न्यायालय, पश्चात्वर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सर्वप्रथम हम अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं. 184/78 की पत्रावली, वादपत्र, निर्णय एवं डिक्री का अध्ययन/अवलोकन करना उचित समझते हैं :–

प्रकरण संख्या 184/78 सहायक कलक्टर (ACM) बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 18.09.1978 को संस्थित किया गया। प्रकरण सं. 184/78 में बतौर वादीगण भेरा, बूला पि. सूरा, लिछमण, पैलाद पि. गोमदा पक्षकार थे एवं प्रतिवादी के रूप में सवाराम, उदाराम, विरधाराम पि. भलाराम, लाधा पुत्र धोंकला पक्षकार थे, तथा प्रकरण सं. 184/78 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त वादपत्र/प्रकरण सं. 184/78 का निर्णयन न्यायालय श्री बी.एन. शर्मा आरएएस सहायक जिलाधीश (ACM) बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.02.1985 को विस्तृत रूप से किया गया एवं उक्त निर्णय की अनुपालना में सहायक कलक्टर (ACM) न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गई। तथा उक्त निर्णय/डिक्री की प्रथम अपील 557/86 के रूप में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के न्यायालय में की गई जिसका निर्णयन 05.02.1988 को किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

अब हम हस्तगत (पश्चातवर्ती वाद) वाद सं. 305/215 का अध्ययन करना उचित समझते हैं:– हस्तगत वाद 305/2015 के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त वाद हाजा न्यायालय में दिनांक

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

12.03.2014 को संस्थित किया गया। हस्तगत (पश्चातवर्ती) वादपत्र में वादीगण के रूप में लाधा उर्फ लाधु पुत्र धोंकला एवं पैलाद पुत्र गोमदा हैं प्रतिवादीगण के रूप में अंतरी देवी बेवा लिछमणाराम, ओमप्रकाश गोदपुत्र लिछमणा, भगवाना पुत्र बुला, सवा, उदा, विरधा पि. भला पक्षकार है। साथ ही हस्तगत (पश्चात्वर्ती) वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद सं. 184/78 एवं हस्तगत (पश्चात्वर्ती) वाद 305/2015 के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि :–

उपर्युक्त दोनों वादपत्रों में पक्षकार समान है अर्थात् यदि पूर्ववर्ती वाद के किसी पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है तो उनके विधिक वारिसान पक्षकार है। साथ ही दोनों वादपत्रों की विषयवस्तु/विवाद्यक/अनुतोष समान प्रकृति के है तथा दोनों वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत ही प्रस्तुत किये गए हैं। साथ तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद दिनांक 06.02.1985 को निर्णीत किया जा चुका है साथ ही पूर्ववर्ती वाद के अनुतोष एवं हस्तगत पश्चातवर्ती वाद के अनुतोष को प्रदान करने में हाजा न्यायालय सक्षम है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 11 रेस–ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दू हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी को स्वीकार करना उचित/विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। पूर्ववर्ती वादपत्र (184/78) तथा हस्तगत वादपत्र में पक्षकार समान होने, विषयवस्तु/अनुतोष समान होने, पूर्व वाद के डिक्री द्वारा निर्णीत हो जाने के आधार पर हस्तगत वादपत्र रेस–ज्यूडिकेटा (पूर्व–न्याय) की पूर्ण परिभाषा में होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/01/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।

सहायक कलेक्टर SDO धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 13/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

13/01/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।

सहायक कलेक्टर SDO धोरीमन्ना